(138)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2410 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 13/अ–12/2015–16.

1– किशनचन्द पिता भगवानदास माखीजा
2– श्रीमती कमला उर्फ कमलाकुमारी पति किशनचंद मखीजा
दोनों निवासी 64 त्रिवेणीनगर कॉलोनी एक्सटेंशन
इंदौर द्वारा पुत्र अनिल पिता किशनचंद माखीजा
117 त्रिवेणीनगर एक्सटेंशन इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

दीवानचंद पिता पोकरदास अवयस्क
निवासी 304 मोनिका प्लाजा
21 वीर सावरकर नगर इंदौर .....अनावेदक

श्री रवि मेहरा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 15/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम भंवरासला स्थित भूमि सर्वे नम्बर 118/6/1 रकबा 0.095, सर्वे नम्बर 118/7 रकबा 0.095 एवं 121 रकबा 0.192 कुल रकबा 0.382 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 18–5–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय होकर होकर निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही में सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, और न ही आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन के पूर्व सभी पड़ोसी कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत् प्रकिया अनुसार किया गया है । प्रकरण में आवेदक पक्ष द्वारा गुणदोषों पर कुछ नहीं कहा गया है । अभिलेख से आवेदक को नोटिस जारी होना प्रमाणित है इसलिये आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसे नोटिस जारी नहीं किया गया है। सीमांकन कार्यवाही में विधिवत् पंचनामा बनाया जाकर फील्डबुक बनाई गई तथा पडोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर